

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग

एम.क-एन.6(5)/1/प्र.सु / अनु-3 / 2006 /

जयपुर, दिनांक 19.1.2011

आदेश


समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आयुवर्ग 3-6 वर्ष के बच्चों को विभिन्न किये जाने वाले गरम पूरक पोषाहार दलिया/खिचड़ी/भारता एवं आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को गर्म दूध, आटा महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को वितरित किये जाने वाले आस्टीड पूरक पोषाहार की गुणवत्ता को जांच/गुणवत्ता नियंत्रण आदि हेतु नीति निर्धारण एवं समीक्षा हेतु अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार) को अध्यक्षता में निम्नोक्त स्तर पर समिति का गठन किया जाता है :-

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार), समेकित बाल विकास सेवाएँ | — | अध्यक्ष |
| 2. उप निदेशक (विश्व आद्य कार्यक्रम), मुख्यालय | — | सदस्य |
| 3. प्रतिनिधि फूड एवं न्यूट्रिशन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर | — | सदस्य |
| 4. प्रतिनिधि यूनिसेफ, राजस्थान जयपुर | — | सदस्य |

समिति को बैठक माह में एक बार आयोजित की जायेगी।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग (निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ) राजस्थान जयपुर होगा।


आज्ञा से


सचिव
जयपुर, दिनांक

एम.क-एन.6(5)/1/प्र.सु / अनु-3 / 2006 /

प्रतिनिधि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, अशुभक्त महिला अधिकारिता एवं पदेन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार) समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
8. उप निदेशक (विश्व आद्य कार्यक्रम), मुख्यालय।
9. फूड एवं न्यूट्रिशन बोर्ड, महिला एवं बाल विकास निकाय, भारत सरकार, जयपुर।
10. यूनिसेफ, राजस्थान जयपुर।
11. शक्ति पत्रवाली।


18/1/11
अनुभागाधिकारी